बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.........................

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–22/2022 –..................../ श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, सिवान के विरूद्ध दिनांक–21.12.2022 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक में बिना अवकाश स्वीकृति अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0–4793 दिनांक–16.08.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के अधीन 02 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, सिवान द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के तहत् पुनर्विलोकन अर्जी दायर किया गया। श्री अविनाश प्रकाश से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोरान्त पाया गया कि इनके द्वारा अवकाश में जाने से पूर्व जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी, परन्तु विभागीय निदेशानुसार विभाग के सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी।

3. अतएव श्री प्रकाश को अधिरोपित दण्ड समानुपातिक नहीं पाये जाने के कारण उनके पुनर्विलोकन अर्जी पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–4793 दिनांक–18.03.2023 द्वारा अधिरोपित 02 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के दण्ड को निरस्त करते हुए निन्दन (आरोप वर्ष 2022) का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–22/2022 –..................../ पटना, दिनांक–......................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–22/2022 –3041/ पटना, दिनांक–05.06.25

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/अधीक्षक मद्यनिषेध, सिवान/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/विभागीय प्रोग्रामर एवं श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, सिवान (प्रतिनियुक्त बी0एस0बी0सी0एल0, कुम्हरार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/2025

सरकार के संयुक्त सचिव